	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 12, मगंलवार, शाके 1942–जून 2, 2020 *Jyaistha 12, Tuesday, Saka 1942–June 2, 2020*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, June 2, 2020

No. F.4(8)Vidhi/2/2020.- The following Ordinance made and promulgated by the Governor of the State of Rajasthan on the 1st day of June, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN EXCISE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Ordinance No. 6 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 1st day of June, 2020)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Excise Act, 1950.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Excise (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of heading of Chapter V, Rajasthan Act No. II of 1950.-** For the existing heading of Chapter V “Duties and Fees” of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), hereinafter referred to as the principal Act, the heading “Duties, Fees and Surcharge” shall be substituted.

3. Insertion of section 28-A, Rajasthan Act No. II of 1950.- After the existing section 28 and before the existing section 29 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“**28-A. Surcharge for mitigating natural or man-made calamities.-** (1) Any excisable article chargeable with duty under section 28, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 50 percent of the duty chargeable on such excisable article under section 28, as may be notified by the State Government, for the purpose of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 28.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the surcharge, leviable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty leviable under section 28.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section.

(5) The surcharge collected under this section shall be utilized for the purpose of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire, etc.".

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 2, 2020

संख्या प.4(8)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एक्साइज (अमेण्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, 2020 (ऑर्डिनेन्स नं. 6 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जून, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 के अध्याय 5 के शीर्षक का संशोधन.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, के अध्याय 5 के विद्यमान शीर्षक "शुल्क और फीस" के स्थान पर शीर्षक "शुल्क, फीस और अधिभार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में धारा 28-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के पश्चात् और विद्यमान धारा 29 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**28-क. प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के लिए अधिभार.-** (1) धारा 28 के अधीन शुल्क से उद्ग्रहणीय कोई आबकारी योग्य वस्तु ऐसी दर पर अधिभार से उद्ग्रहणीय होगी, जो धारा 28 के अधीन ऐसी आबकारी योग्य वस्तु पर उद्ग्रहणीय शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार धारा 28 के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 28 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए नियम बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।